

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 112/2018
S.B. Civil First Appeal No. 85/2018
S.B. Civil First Appeal No. 86/2018
S.B. Civil First Appeal No. 87/2018
S.B. Civil First Appeal No. 114/2018
S.B. Civil First Appeal No. 115/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा एवं श्री आदित्य शर्मा।
प्रत्यर्थी संख्या-1 के अधिवक्ता श्रीमती सुरुचि कासलीवाल।

:: आदेश ::

29.09.2018

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में संशोधन के क्रम में आवश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की। निवेदन अनुसार समय प्रदान किया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या-2 श्रीमती गुमान कंवर को नोटिस जारी हो। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में दो सैट में पी नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस सामान्य प्रक्रिया एवं रजिस्टर्ड डाक से आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निवेदन अनुसार नोटिस दस्ती दिया जावे।

अंतरिम स्थगन पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों व मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, **कम-17**, जयपुर महानगर द्वारा दीवानी वाद संख्या-102/2012, 103/2012, 104/2012, 105/2012, 106/2012 एवं 107/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित **06.10.2017** के क्रियान्वयन पर आगामी सुनवाई तिथि तक रोक लगाई जाती है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-